रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225836
CG-DL-E-12032021-225836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942
No. 129]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

सा.का.नि.170(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 200 और धारा 203 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में,--

(i) प्ररूप सं. 12खक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 12खक

[नियम 26क (2)(ख) देखिए]

परिलब्धियों, अन्य उपांत फायदों या सुख सुविधाओं और वेतन के बदले में लाभों की, उनके मूल्य सहित, विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

1. नियोजक का नाम और पता :
2. कर कटौती खाता संख्यांक :
3. नियोजक की स्त्रोत पर कर कटौती निर्धारण रेंज :
4. कर्मचारी का नाम, पदनाम और स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक :
5. क्या कर्मचारी कंपनी में निदेशक है या उसका उसमें सारवान हित है :
   (जहाँ नियोजक कंपनी है)
6. "वेतन" शीर्ष के अधीन कर्मचारी की आय :
   (परिलब्धियों से भिन्न)
7. वित्तीय वर्ष :
8. परिलब्धियों का मूल्यांकन :

क्र. सं.	परिलब्धियों की प्रकृति (नियम 3 देखिए)	नियमों के अनुसार परिलब्धि का मूल्य (रू.)	कर्मचारी से वसूल की गई रकम यदि कोई हो (रू.)	कर से प्रभार्य परिलब्धिकी रकम स्तंभ (3) – स्तंभ (4) – (रू.)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	वास-सुविधा			
2.	कारें/अन्य आटोमोटिव			
3.	सफाईवाला, माली, चौकीदार और निजी परिचर			
4.	गैस, विद्युत, जल			
5.	व्याज मुक्त या रियायती ऋण			
6.	अवकाश व्यय			
7.	मुफ्त या रियायती यात्रा			
8.	मुफ्त भोजन			
9.	मुफ्त शिक्षा			
10.	उपहार, वाउचर, आदि			
11.	क्रेडिट कार्ड व्यय			
12.	क्लब व्यय			

13.	कर्मचारियों द्वारा स्थावर आस्तियों का प्रयोग			
14.	कर्मचारियों को आस्तियों का अंतरण			
15.	किसी अन्य फायदे/सुख सुविधा/सेवा/विशेषाधिकार का मूल्य			
16.	नियोजक द्वारा आबंटित या अंतरित स्टॉक विकल्प जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट पात्र स्टार्टअप है			
17.	उपर स्तंभ 16 में ईएसओपी से भिन्न स्टॉक विकल्प (गैर अर्ह विकल्प)			
18.	धारा 17 (2) (vii) के अधीन कराधेय निधि और स्कीम में नियोजक द्वारा अभिदाय			
19.	धारा 17 (2) (vii) में निर्दिष्ट और धारा 17 (2) (viiक) के अधीन कराधेय निधि और स्कीम के प्रत्यय के शेष में ब्याज, लाभांश आदि के माध्यम से वार्षिक अभिवृद्धि			
20.	अन्य फायदे या सुख-सुविधाएं			
21.	परिलब्धियों का कुल मूल्य			
22.	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले में लाभों का कुल मूल्य			

(9) कर के ब्यौरे,-

(क) धारा 192(1) के अधीन कर्मचारी के वेतन से काटा गया कर -------------

(ख) धारा 192(1क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा संदत्त कर -------------

(ग) संदत्त कुल कर -------------

(घ) सरकारी खजाने में संदाय की तारीख -------------

नियोजक द्वारा घोषणा

मैं,----------------------श्री.-------------------का पुत्र, जो---------------------------------(पदनाम) के रूप में कार्य कर रहा हूँ------------------(नियोजक का नाम) की ओर से यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी लेखा-बहियों,

दस्तावेजों और हमारे पास उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों या जानकारी पर आधारित है और प्रत्येक ऐसी परिलब्धि के मूल्य के ब्यौरे धारा 17 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार हैं तथा यह कि ऐसी जानकारी सत्य और सही है ।

स्थान पूरा नाम

तारीख पदनाम

कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर।";

(ii) प्ररूप सं. 16 के भाग ख (उपाबंध) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"भाग ख (उपाबंध)

"संदत्त वेतन और अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे				
अ	क्या धारा 115 खकग के अधीन कराधान का विकल्प चुना है		हां/नहीं	
1.	सकल वेतन			
(क)	धारा 17(1) के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	रू.		
(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां लागू हो)	रू.		
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12 खक के अनुसार, जहां लागू हो)	रू.		
(घ)	कुल			रू.
(ङ)	अन्य नियोजक(कों) से प्राप्त रिपोर्ट की गई वेतन की कुल रकम		रू.	
2.	घटाएं : धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते			
(क)	धारा 10 (5) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता		रू.	
(ख)	धारा 10 (10) के अधीन मृत्यु - सह – सेवानिवृत्ति उपदान		रू.	
(ग)	धारा 10 (10क) के अधीन पेंशन का संराशीकृत मूल्य		रू.	
(घ)	धारा 10 (10कक) के अधीन छुट्टी वेतन नकदीकरण के बराबर नकद		रू.	
(ङ)	धारा 10 (13क) के अधीन गृह किराया भत्ता		रू.	
(च)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम			
	खंड ...	रू.		
	खंड ...	रू.		
	खंड ...	रू.		
	खंड ...	रू.		
	खंड ...	रू.		
	...	रू.		
(छ)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की कुल रकम		रू.	
(ज)	धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट की कुल रकम [2(क)+2(ख) +2(ग) +2(घ)+2(ङ) +2(च) +2(छ)]			रू.
3.	वर्तमान नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल रकम[1(घ)-2(ज)]			रू.
4.	घटाएं : धारा 16 के अधीन कटौतियां			

(क)	धारा 16 (iक) के अधीन मानक कटौती		रू.	
(ख)	धारा 16 (ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		रू.	
(ग)	धारा 16 (iii) के अधीन नियोजन पर कर		रू.	
5.	धारा 16 के अधीन कटौतियों की कुल रकम [4(क)+4(ख)+4(ग)]			रू.
6.	शीर्ष "वेतन" के अधीन प्रभार्य आय [3+1(ङ)-5]			रू.
7.	जोडें : धारा 192 (2ख) के अनुसार कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय			
(क)	स्त्रोत पर कर कटौती के लिए आमंत्रित कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या अनुयोज्य हानि)		रू.	
(ख)	स्त्रोत पर कर कटौती के लिए आमंत्रित अन्य स्त्रोतों शीर्ष के अधीन आय		रू.	
8.	कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय की कुल रकम [7(क)+7(ख)]			रू.
9.	सकल कुल आय (6+8)			रू.
10.	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां			
			सकल रकम	कटौती योग्य रकम
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदायों आदि के संबंध में कटौती		रू.	रू.
(ख)	धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय के संबंध में कटौती		रू.	रू.
(ग)	धारा 80गगघ (1) के अधीन पेंशन स्कीम में करदाता द्वारा अभिदाय के संबंध में कटौती		रू.	रू.
(घ)	धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कुल कटौती		रू.	रू.
(ङ)	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम में संदत्त/जमा रकम के संबंध में कटौतियां		रू.	रू.
(च)	धारा 80गगगघ (2) के अधीन पेंशन स्कीम में नियोजक द्वारा अभिदाय के संबंध में कटौती		रू.	रू.
(छ)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		रू.	रू.
(ज)	धारा 80ङ के अधीन उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रू.	रू.
		सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम
(झ)	धारा 80छ के अधीन कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को संदानों के संबंध में कुल कटौती	रू.	रू.	रू.
(ञ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमाओं पर ब्याज के संबंध में कटौती	रू.	रू.	रू.
(ट)	अध्याय 6क के किन्ही अन्य उपबंध (धों) के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा...	रू.	रू.	रू.
	धारा...	रू.	रू.	रू.
	धारा...	रू.	रू.	रू.
	धारा...	रू.	रू.	रू.
	धारा...	रू.	रू.	रू.
	धारा...	रू.	रू.	रू.

	...	रु.	रु.	रु. ....
(1)	अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध (धों) के अधीन कुल कटौती योग्य रकम	रु.	रु.	रु. ....
11	अध्याय 6-क के अधीन कुल कटौती योग्य रकम [10(क)+10(ख)+10(ग)+10(घ)+10(ड.)+10(च)+10(छ)+10(ज)+10 (झ)+10(ञ) 10(1)]			रु. ....
12	कुल कर योग्य आय (9-11)			रु. ....
13	कुल आय पर कर			रु. ....
14	घाटा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो			रु. ....
15	अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो			रु. ....
16	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%			रु. ....
17	देय कर (13+15+16-14)			रु. ....
18	घटाएं :धारा 89 के अधीन अनुतोष (ब्यौरा सलग्न करें)			रु. ....
19	शुद्ध देय कर (17-18)			रु. ....
	सत्यापन			
	मैं,...पुत्र/पुत्री... जो (पदनाम) की हैसियत से कार्य कर रहा /रहीं हूं यह प्रमाणित करता करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा बहियों दस्तावेजों, स्त्रोत पर की कटौती के विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है ।			
	स्थान..	(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)		
	तारीख	पूरा नाम...		

टिप्पण :

1. सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 1 में जानकारी भरें यदि कर को आय कर चालान के पेश किए बिना संदत्त किया जाता है और यदि कर की आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो भाग क के मद 2 में जानकारी भरें ।
2. गैर सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
3. कटौतीकर्ता, आयकर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरणों के विषय में है ।
4. यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती केवल एक नियोजन के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाणपत्र, प्ररुप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा ।
5. (i) यदि वर्ष को दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अवधि से संबंधित प्ररुप सं. 16 में प्रमाणपत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था ।

   (ii) निर्धारिती के विकल्प पर प्ररुप सं. 16 प्रमाणपत्र का भाग ख (उपबंध) प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा ।
6. भाग क के मद 1 और मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के बाबत जमा किए गए कर के लिए स्तंभ में कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल रकम उल्लखित करें ।

7. कटौतीकर्ता भाग ख (उपाबंध) को कर्मचारी को देने से पहले मद संख्या 2(च) और 10(ट) में ब्यौरे, जहां कहीं उपलब्ध हो, सम्यक रुप से भरेगा ।";

(iii) प्ररुप संख्या 24थ में, "उपाबंध II" के लिए निम्नलिखित "उपाबंध" रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपाबंध II

वित्तीय वर्ष ....के दौरान संदत्त या जमा किए गए वेतन और शुद्ध संदेय कर के ब्यौरे

क्रम संख्या।	कर्मचारी का स्थायी खाता संख्या ।	कर्मचारी का नाम ।	क्या धारा 115 खकग के अधीन कराधान चुना गया ? [हां/नहीं]	कटौती करने वाले का प्रकार (ज्येष्ठ नागरिक, जेष्ठतम नागरिक, अन्य ।) ।	वर्तमान वित्तीय वर्ष में वर्तमान नियोजक के साथ प्रारम्भ से समाप्ति की तारख तक (दिन/माह/वर्ष)।	(क)धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधो के अनुसार कुल वेतन ।	(ख)धारा 17(2) के अधीन परिलब्धि का मूल्य (प्ररुप 12खक के अनुसार जहां कहीं भी लागू हो)	(ग) धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररुप संख्या 12 खक के अनुसार जहां कहीं भी लागू हो) ।	वर्तमान नियोजक से प्राप्त सकल वेतन का कुल रकम (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण 1 देखें ।
(330)	(331)	(332क)	(332ख)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)

अन्य नियोजक (कों) से प्राप्त की गई वेतन की रिपोर्ट की गई कुल रकम (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण 1 देखें)	धारा 10(5) के अधीन रियायत या सहायता यात्रा ।	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान ।	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का संराशित मूल्य ।	धारा 10(10कक) के अधीन छुट्टी वेतन भुनाने के समतुल्य नकदी ।	धारा 10 (13क) के अधीन मकान किराया भत्ता ।	भू-स्वामी का पैन यदि, धारा 10(13क) के अधीन छूट का दावा किया गया है (टिप्पण 3 देखें) ।	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम।	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त दावा की गई कुल रकम (340+341+342+343+344+346)।	धारा 16 (iक) के अधीन कुल कटौती ।
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)

धारा 16 (ii) के अधीन कुल कटौती ।	धारा 16 (iii) अधीन कुल कटौती ।	वेतन [338+339+347 +348+ 349+350] शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय ।	धारा 192 (2ख) के अनुसार टी डी एस के लिए प्रस्तावित नियोजक द्वारा रिपोर्ट की गई गृह सम्पत्ति से आय (या अनुज्ञेय हानि)	उधार देने वाले का पैन, यदि धारा 24(ख) के अधीन गृह ऋण पर ब्याज की मांग की गई है (टिप्पण4 देखें)	धारा 192 (2ख) के अनुसार टी डी एस के लिए प्रस्तावित अन्य शीर्ष स्त्रोत के अधीन आय ।	सकल कुल आय (351+ 352+ 354)।	धारा 80(ग) के अधीन जीवन बीमा प्रीमिया, भविष्य निधि में योगदान आदि के संबंध में कटौती ।	धारा 80 गगग के अधीन कतिपय पैंशन निधि के योगदान के संबंध में कटौती ।	धारा 80 गगघ (1) के अधीन अधिसूचित पेशन स्कीम के करदाता द्वारा योगदान के संबंध में कटौती ।।
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)

धारा 80 गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन संदत्त या जमा रकम के संबंध में कटौती।	धारा 80 गगघ(2) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन नियोजक द्वारा योगदान के संबंध में कटौती।	धारा 80 घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमिया के संबंध में कटौती।	धारा 80 ङ. के अधीन उच्चतर शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती।	धारा 80छ के अधीन कतिपय निधि, पूर्त संस्था आदि के संदान के संबंध में कुल कटौती।	धारा 80 न न क के अधीन बचत खाता में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती।	अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध(धों) के अधीन कटौती योग्य रकम।	अध्याय 6-क के अधीन कटौती योग्य कुल रकम [356+357+ 358(1,50,000) रु. की सीमा तक) +359 +360 + 361 +362 +363 +364 +365]	कुल कर योग्य आय (355-366)।	कुल आय पर आय कर।
(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)

धारा 87 क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो।	अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो।	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर।	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जब वेतन आदि बकाया या अग्रिम धन संदत्त कर दिया गया है)	शुद्ध कर दायित्व) [368 + 370 +371 – (369+372)]	संपूर्ण वर्ष के लिए चालू नियोजक द्वारा स्रोत पर कटवाए गए कर की कुल रकम [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग]	अन्य नियोजक (कों) या कटौतीकर्ता (ओं) द्वारा स्रोत पर कटवाए गए कर की रिपोर्ट की गई रकम (वह रकम जिसके संबंध में स्तंभ 339 में संगणित कुल कर योग्य आय में सम्मिलित की गई है)	संपूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कटवाए गए कर की कुल रकम (374 +375)	कर कटौती में कमी (+) या अधिक कर कटौती (-) (373-376)
(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)

टिप्पण :

1. वेतन, जिसके अंतर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपादान [धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न] फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्ति उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन जमा की गई रकम का प्रतिसंदाय, परिलब्धि किसी वेतनमान या मजदूरी के लिए लाभ के स्थान पर या इसके अतिरिक्त, जिसके अंतर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में वेतन का अग्रिम, न ली गई छुट्टी की किसी अवधि के बाबत प्राप्त कोई संदाय भी है, [धारा 10(10कक) के अधीन छूट से भिन्न] आय कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसरण में कर के लिए प्रभार्य किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में लेखा का अतिशेष के लिए कोई वार्षिक अनुवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 2 के उपनियम (4) के अनुसरण में कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई रकम आय समझी जाएगी, धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या वेतन शीर्ष के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य कोई अन्य रकम।
2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त परिलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी की निधि के लिए कर्मचारी के किन्हीं अभिदायो का उसकी ओर से संदाय करता है वहां ऐसी सभी कटौतियों या संदाय विवरण में शामिल किया जाना चाहिए।
3. भू-स्वामी का स्थायी खाता संख्या दिया जाना आज्ञापक होगा जहां पिछले वर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक कुल किराया संदत्त किया गया है।

4. उधार देने वाले का स्थायी खाता संख्या दिया जाना आज्ञापक होगा जहां आवासीय ऋण जिस पर ब्याज संदत्त कर दिया गया है, वित्तीय संस्थान या नियोजक से अन्यथा व्यक्ति से लिया गया है।"।

[अधिसूचना सं. 15/2021/फा.सं.370142/04/2019-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव, (कर नीति और विधायन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 162(अ), तारीख 09 मार्च, 2021 को किया गया है ।